कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
ग्राम–डाण्डा लखौण्ड, पो0ऑ0–गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।
ई–मेल–dghealth.uttarakhand@gmail.com, & dgmhkarmiksection3@gmail.com दूरभाष संख्या : 0135 2608763,

पत्रांक– 3प/लिपिक/141/2022/25340 देहरादून, दिनांक 07 अगस्त, 2026

सेवा में,

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. प्रधानाचार्य, सम्भागीय प्रशिक्षण केन्द्र मोतीनगर, हल्द्वानी/चन्दरनगर, देहरादून।
4. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला/उपजिला, चिकित्सालय, उत्तराखण्ड।

विषय– चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी/वाहन चालक संवर्ग के कार्मिकों को कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक महानिदेशालय के पत्रांक– 3प/लिपिक/2022/12721 दिनांक 26 मई, 2025 के द्वारा य समूह 'घ' के कर्मचारियों एवं वाहन चालकों से कनिष्ठ सहायक (वेतनमान रु० 21,700–69,100, पे–मैट्रिक्स लेवल–3) के पद पर पदोन्नति हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये थे।

कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु पदों की संख्या में वृद्धि होने तथा पदोन्नति हेतु पात्रता के लिए वर्ष 2025–26 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि की आवश्यकता होने के कारण आवेदन पत्र पुनः आमंत्रित किऐ जा रहे हैं।

वर्तमान में विभागीय समूह घ के कर्मचारियों एवं वाहन चालकों की शैक्षिक योग्यता के अनुसार कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु रिक्तियां निम्नवत् हैं–

विवरण	हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण विभागीय समूह घ के कर्मचारी(15%)	इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण विभागीय समूह 'घ' के कर्मचारी (10%)	हाई स्कूल/ इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण वाहन चालक (5%)
वर्तमान में शुद्ध रिक्ति	29	10	10
शासनादेशानुसार दिव्यांग कार्मिकों हेतु आरक्षित	02	–	–

उत्तराखण्ड चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (लिपिक वर्गीय) सेवा नियमावली 2021 एवं अधिसूचना संख्या 168722/XXX(2)/2023-E 49520 दिनांक 15 नवम्बर, 2023 द्वारा जारी उत्तराखण्ड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) (संशोधन) नियमावली 2023 एवं शासन द्वारा समय–समय पर जारी संशोधित शासनादेशों में दिये गये प्राविधानों के अनुसार पदोन्नति हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी–

1– लिपिक वर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय श्रेणी समूह 'घ' के कर्मचारी एवं वाहन चालक, जिन्होंने 05 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो तथा निर्धारित शैक्षिक अर्हता रखते हों, पात्रता क्षेत्र में आयेंगे।

2– समूह 'घ' एवं वाहन चालक से कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए आरक्षित रिक्तियों पर चयन श्रेष्ठता के आधार पर एक साधारण परीक्षा लेकर किया जायेगा। परीक्षा में केवल एक प्रश्नपत्र होगा, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा अधिकतम 40 अंक की होगी तथा पात्र कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि हेतु 10 अंक होंगे।

3– चतुर्थ श्रेणी एवं वाहन चालक पद पर कार्य अनुभव हेतु प्रत्येक वर्ष के लिए 02 अंक दिए जायेंगे तथा कार्य अनुभव के लिए अधिकतम 50 अंक निर्धारित किये जायेंगे। इस प्रकार चयन परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी।

Scanned with OKEN Scanner

4– उपरोक्त के अतिरिक्त 50 अंकों की हिन्दी में टंकण परीक्षा भी ली जायेगी। **टंकण परीक्षा में 2400 की–डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति से कम टंकण करने वाले अभ्यर्थी अर्ह नहीं होंगे।**

5– आवेदन करने वाले कार्मिकों की नियमित, निरंतर व संतोषजनक सेवा पूर्ण होनी आवश्यक है।

इच्छुक एवं योग्य कार्मिक संलग्न प्रारूप पर अपना आवेदन पत्र अपने नियंत्रक अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। नियंत्रक अधिकारी प्राप्त आवेदनों को संस्तुति सहित जनपदीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित करेंगे। इस हेतु जनपदीय मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किये जाने का निर्णय लिया गया है। महानिदेशालय को आवेदन पत्र जनपदीय मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से प्रेषित किये जायेंगे। नियंत्रक अधिकारी अन्य समस्त अभिलेखों के साथ–साथ विगत 05 वर्षों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों एवं हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने की अंक तालिका/प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र का अवलोकन/छायाप्रति को स्वयं प्रमाणित करेंगे।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्तर से समस्त जनपदीय समूह 'घ' के कर्मचारियों एवं वाहन चालकों को अवगत कराते हुए आवेदन पत्र प्राप्त कराना सुनिश्चित करें तथा प्राप्त आवेदनों को संस्तुति सहित दिनांक 26 अगस्त, 2026 तक जनपदीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। जनपदीय मुख्य चिकित्सा अधिकरी प्राप्त आवेदन पत्रों को संलग्न प्रारुप पर सूचना सहित दिनांक 31 अगस्त, 2026 तक विशेष पत्रवाहक के माध्यम से कार्मिक अनुभाग–3, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रश्नगत प्रकरण में नियंत्रक अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि आपके द्वारा जनपद के समस्त श्रेणी 'घ' के कार्मिकों एवं वाहन चालकों को उपरोक्तानुसार अवगत करा लिया गया है।

संलग्न–आवेदन पत्र का प्रारुप एवं सूचना हेतु निर्धारित प्रारुप।

भवदीय,

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

संख्या–3प/लिपिक/141/2022/.......... **उक्त दिनांकित।**

प्रतिलिपिः– नोडल अधिकारी (आई0ई0सी0), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को विभागीय पोर्टल पर आज ही प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

Scanned with OKEN Scanner

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों/वाहन चालकों को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

1	अभ्यर्थी का नाम		नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटो
(क)	हिन्दी (देवनागरी लिपि में)		
(ख)	अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में		
2	वर्तमान कार्यालय का नाम		
	पिता/पति का नाम		
	वर्तमान पद का नाम		
3	आवेदक यदि दिव्यांग है तो (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न)		
(क)	दिव्यांगता की श्रेणी (प्रकार)		
(ख)	दिव्यांगता का प्रतिशत		
4	जन्म तिथि (जैसा हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी या समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र में अंकित हो)		
5	सेवा काल में शैक्षिक योग्यता अर्जित करने की स्थिति में विभागीय अनुमति/आवेदन का विवरण (विवरण संलग्न करें)		
6	राष्ट्रीयता		
7	चतुर्थ श्रेणी/वाहन चालक के पद पर कुल सेवा अवधि		
8	आवेदक का पता		
(क)	पत्र व्यवहार का पता		
(ख)	स्थायी पता		
9	शैक्षिक/प्राविधिक अर्हताओं का क्रमवार विवरण(शैक्षिक अर्हताओं के अंक तालिकाओं/प्रमाण पत्र की नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करनी अनिवार्य है)		

10	परीक्षा का नाम	बोर्ड/संस्था/विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
(क)	हाईस्कूल					
(ख)	इण्टरमीडिएट					
(ग)	अन्य					

घोषणा पत्र

मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये समस्त विवरण/सूचनायें सही हैं और मैंने किसी विवरण/सूचना को छिपाया नहीं है। यदि कोई विवरण/सूचना असत्य या त्रुटिपूर्ण पायी गयी या कोई तथ्य मेरे द्वारा छिपाया जाता तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये। यदि पदोन्नति के उपरान्त भी किसी तथ्य के छिपाये जाने/असत्य अथवा त्रुटिपूर्ण होना प्रकाश में आये तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर दी जाये। मैं किसी क्षतिपूर्ति (क्षतिपूर्ण) का हकदार नहीं रहूँगा/रहूँगी।

संलग्नकों की कुल संख्या		
		अभ्यर्थी का नाम/हस्ताक्षर
		दिनांक

कार्यालय के सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी द्वारा अग्रसारण
कार्यालय का नाम

पत्र संख्या...

प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यर्थी की अंक तालिकाओं/वार्षिक गोपनीय आख्या/दिव्यांग प्रमाण पत्र का अवलोकन मेरे द्वारा स्वयं कर लिया गया है। सेवा पुस्तिका एवं सेवा अभिलेखों के अनुसार अभ्यर्थी की सेवायें नियमित, निरन्तर एवं संतोषजनक हैं। तथा अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा वाद न्यायालय में प्रचलित/लम्बित नहीं है।

नियन्त्रक अधिकारी का नाम/पदनाम ....

हस्ताक्षर, मोहर व दिनांक ....

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अग्रसारण

पत्र संख्या...

आवेदन मूल रूप में संस्तुति सहित अग्रसारित।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी का नाम/पदनाम ....

हस्ताक्षर, मोहर व दिनांक........ ....

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक–1 (इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण विभागीय समूह घ के कर्मचारियों की पात्रता सूची)

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	वर्तमान पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	प्रथम नियुक्ति तिथि	भर्ती वर्ष 01 जुलाई, 2026 को कुल सेवा अवधि	शैक्षिक योग्यता	सेवायें नियमित हैं अथवा नहीं	अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित/लम्बित है अथवा नहीं	न्यायालय में वाद प्रचलित/लम्बित है अथवा नहीं	वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के वर्गीकरण की श्रेणी					अभ्युक्ति
										2021–22	2022–23	2023–24	2024–25	2025–26	

मुख्य/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जनपद.................	अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद.................	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद.................

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक–2 (हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण विभागीय समूह घ के कर्मचारियों की पात्रता सूची)

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	वर्तमान पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	प्रथम नियुक्ति तिथि	भर्ती वर्ष 01 जुलाई, 2026 को कुल सेवा अवधि	शैक्षिक योग्यता	सेवायें नियमित हैं अथवा नहीं	अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित/लम्बित है अथवा नहीं	न्यायालय में वाद प्रचलित/लम्बित है अथवा नहीं	वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के वर्गीकरण की श्रेणी					अभ्युक्ति
										2021–22	2022–23	2023–24	2024–25	2025–26	

मुख्य/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जनपद................	अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद................	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद................

Scanned with OKEN Scanner